क्रमांक 7439–2 जी0 एस0–II–76/27001

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल राज्य के सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायलय तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

दिनांक चण्डीगढ़ 14 अक्तूबर, 1976

विषय :– उत्कृष्ट कार्य करने के लिये कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रोत्साहन देना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्र0 7721–2 जी0 एस070/27635, दिनांक 13–10–70 की ओर ध्यान दिलाऊं जिसके द्वारा श्रेणी–I के अधिकारियों को इस प्रकार का प्रोत्साहन देने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। सरकार ने इस मुआमले पर पुनः विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि सरकार के पत्र क्र0 5678–2 जी0 एस0–68/32776, दिनांक 27–12–1968 तथा क्र0 4857–4 जी एस–II–72/26331, दिनांक 5–9–72 द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर हरियाणा सरकार के अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को जो प्रोत्साहन दिये जाते हैं, वे श्रेणी I के उन अधिकारियों को भी दिये जायेंगे जिन्हें वर्ष 1974-75 तथा इसके बाद की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर प्रशंसा पत्र जारी किए गये हों ।

2. जहां तक अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का सम्बन्ध है, अपेक्षित हिदायतें अलग से जारी की जाएंगी ।

3. आपसे अनुरोध किया जाता है कि ये अनुदेश अपने अधीन सभी अधिकारियों के नोटिस में ला दिये जाएं ।

भवदीय,

उप सचिव सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति सभी वित्तायुक्त/सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।